

## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

### कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 252 वीं बैठक दिनांक 10.01.2018 को सांय: 04.30 बजे आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। जिसका कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :-

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया।

1. श्री एच.गुईटे, सचिव, जविप्रा जयपुर।
  2. श्री ओ.पी. बुनकर, अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन/पीआरएन/पूर्व-पश्चिम) जविप्रा, जयपुर।
  3. श्री गोपाल लाल सैनी, सदस्य सचिव, भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) जविप्रा, जयपुर।
- विशेष आमंत्रित सदस्य।

1. श्रीमति लवंग शर्मा, परामर्शी, (नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
2. श्री अनंत कुमार, उप निदेशक (विधि), जविप्रा जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थे :

- |                                  |                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. श्री श्रीनाथ माहेश्वरी        | वरिष्ठ नगर नियोजक, जविप्रा, जयपुर।                    |
| 2. श्री सत्यप्रकाश करवा          | उपायुक्त, जोन-7, जविप्रा, जयपुर।                      |
| 3. श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल     | उपायुक्त, जोन-8, जविप्रा, जयपुर।                      |
| 4. श्री राजकुमार सिंह            | उपायुक्त, जोन-12, जविप्रा, जयपुर।                     |
| 5. श्री विरधीचन्द गंगवाल         | उपायुक्त, जोन-13, जविप्रा, जयपुर।                     |
| 6. श्री गधुसूदन पालीवाल          | उपायुक्त, जोन-9 एवं 14, जविप्रा, जयपुर।               |
| 7. श्री एकता काबरा               | उपायुक्त, पीआरएन, दक्षिण (द्वितीय), जविप्रा, जयपुर।   |
| 8. श्री एम.एल. गुर्जर            | संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारिता, जविप्रा, जयपुर।         |
| 9. सोनगनि0/अरबन प्लान/वास्तुविद् | जोन-7,8,9,12,13,14, पी.आर.एन. दक्षिण, जविप्रा, जयपुर। |
| 10. श्रीमती उषा जैन              | सलाहकार, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।                   |

एजेन्डा संख्या-1 (252/10.01.2018)

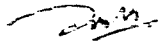
विषय:- बी.पी.सी (एलपी) की 251 वीं बैठक दिनांक 21.12.2017 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि बाबत।

बीपीसी एलपी की 251 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई एवं बैठक संख्या 249 दिनांक 26.10.2017 कार्यवाही विवरण के एजेन्डा संख्या 3 में उल्लेखित सैक्टर -31 की जगह सैक्टर -19 पढा जावे साथ ही बैठक 250 दिनांक 3.11.2017 के एजेन्डा संख्या-9 में ग्राम नृसिंहपुरा तहसील सांगानेर में पूर्व में अफोडेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत मैसर्स सिनटैक्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड भूखण्ड में से पट्टेधारी के हक 48 प्रतिशत में प्रस्तावित मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रोवीजन 3 ए के अन्तर्गत जारी किये जाने वाले एकल पट्टे में 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र हेतु भूमि नहीं ली जावे।

एजेन्डा संख्या-2-(जोन-7)- (252/10.01.2018)

विषय:- नेहरू गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना आम्प्रपाली नगर ग्राम आवास के भूखण्ड संख्या डी-1 से डी-11 के पुर्नगठन के संबंध में।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि नेहरू गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना आम्प्रपाली नगर ग्राम आवास के भूखण्ड संख्या डी-1 से डी-11 के पुर्नगठन किया जावे तथा



क्षेत्रफल 1500 वर्ग गज से अधिक होने के कारण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार को अग्रेषित किया जावे। पुर्नवित्त भूखण्ड पर पैरामीटर्स (उंचाई, एफ.ए.आर) मूल भूखण्ड अनुसार ही देय होंगे।

**एजेण्डा संख्या:-3-(जोन-8)- (252/10.01.2018)**

**विषय:-** ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ रामपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 95 की 1141.54 वर्ग मीटर भूमि के आवासीय एकल पट्टे के अनुमोदन बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ रामपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 95 की 1141.54 वर्ग मीटर भूमि के आवासीय एकल पट्टा अनुमोदन किया जावे।

**एजेण्डा संख्या:-4-(जोन-8)- (252/10.01.2018)**

**विषय:-** शिल्पाचार्य दिश्वकर्ता गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना शिक्षा विहार ब्लॉक ए के भूखण्ड संख्या ए-245 से ए-256 को सहकारी समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र एवं साईट प्लान के अनुसार लीजडीड जारी करने के संबंध में।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि योजना शिक्षा विहार के भूखण्ड संख्या ए-245 से ए-256 तक के पीछे की ओर अन्य योजना के क्षेत्र को उक्त भूखण्डों के क्षेत्रफल में शामिल करते हुये बड़े हुये क्षेत्रफल की नियमानुसार राशि लेते हुये लीजडीड एवं साईट प्लान जारी किया जावे।

**एजेण्डा संख्या:-5-(जोन-12)- (252/10.01.2018)**

**विषय:-** ग्राम नौदल तहसील आमेर के खसरा नं. 1105, 1106 व 1104 कुल किता 3 रकबा 0.82 हैक्टेयर भूमि का एकल पट्टा जारी करने बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि पूर्व में 90बी शुदा (आवासीय प्रयोजनार्थ) भूमि को सम्मिलित करते हुये ग्राम नौदल तहसील आमेर के खसरा नं. 1105, 1106 व 1104 कुल किता 3 रकबा 0.82 हैक्टेयर भूमि का एकल पट्टा जारी किया जावे।

**एजेण्डा संख्या:-6-(जोन-12)- (252/10.01.2018)**

**विषय:-** मुख्यमंत्री जन आवास नीति के तहत प्राप्त प्रकरणों में नामित व्यक्ति/संस्था/कम्पनी के नाम से लीजडीड जारी किये जाने के संबंध में।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक एफ.3(178)नवि/3/2012 दिनांक 09.04.2013 जारी आदेश अनुसार मुख्यमंत्री जन आवास नीति के तहत प्राप्त प्रकरणों में नामित व्यक्ति/संस्था/कम्पनी के नाम से लीजडीड जारी की जावे।

**एजेण्डा संख्या:-7-(जोन-13)- (252/10.01.2018)**

**विषय:-** राजस्व ग्राम लबाना तहसील आमेर के खसरा नं. 413, 414, 415, 416, 417, 418/2327, 421, 422, 426, 427, 428, 429, 430, 431/1, 435, 436, 437/2326, 445, 412, 206, 401, 406, 407, 409, 418, 182/2343, 201/2339, 202/2342, 404, 405, 408, 419, 420, 423, 424, कुल किता 35 रकबा 20.43 हैक्टेयर एवं ग्राम गुणावता तहसील आमेर के खसरा नं. 201, 207, 209/1856, 210, 208/1857, 209, 185, 186, 187, कुल किता 9 रकबा 4.88 हैक्टेयर भूमि तथा धारा 90बी शुदा ग्राम गुणावता तहसील आमेर के खसरा नं. 191, 192, 193, 194,

195, 196, 197, 198, 199, 200, कुल किता 10 रकबा 5.04 इस प्रकार कुल दोनों ग्रामों की कुल 30.15 हैक्टेयर भूमि पर संशोधित फार्म हाउस योजना अनुमोदन के संबंध में।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर ग्राम लबाना तथा ग्राम गुणावता की कुल रकबा 30.15 हैक्टेयर भूमि पर नियमानुसार योजना रिवीजन शुल्क लेते हुये संशोधित फार्म हाउस योजना अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।

**एजेण्डा संख्या:-8-(जोन-14)-(252/10.01.2018)**

**विषय:-**राजस्व ग्राम रामचन्द्रपुरा तहसील सांगानेर में निजी खातेदारी की भूमि में ग्रुप हाउसिंग योजना खसरा नं. 1084 क्षेत्रफल 8059.32 वर्ग गज की लीजडीड व साईट प्लान में संशोधित कर मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रोविजन 3-ए अर्न्तगत एकल पट्टा अनुमोदन किये जाने बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि ग्राम रामचन्द्रपुरा तहसील सांगानेर में निजी खातेदारी की भूमि में ग्रुप हाउसिंग योजना खसरा नं. 1084 क्षेत्रफल 8059.32 वर्ग गज की लीजडीड व साईट प्लान में संशोधन करते हुये मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रोविजन 3-ए के अर्न्तगत एकल पट्टा अनुमोदन किया जावे एवं भूखण्ड के सामने स्थित 220 के0वी0 की एचटी लाईन के मध्य से भूखण्ड की ओर 17.50 मीटर तक नो कन्स्ट्रक्शन जोन दर्शाया जावे, जिसे भूखण्ड के सामने के सैटबैक में सनायोजित किया जावे। उक्त नो कन्स्ट्रक्शन क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण (यथा चौकीदार का कमरा सर्विसेज पार्किंग इत्यादि) अनुज्ञेय नहीं होगी।

**एजेण्डा संख्या:-9-(मास्टर प्लान)-(252/10.01.2018)**

**विषय:-**जोनल विकास योजना संख्या-8 के अनुमोदन बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर जोनल विकास योजना-8 की रिपोर्ट तथा योजना मानचित्र बाबत निम्नवत निर्णय लिये गये :-

1. योजना की सड़को व सड़को के जंक्शनों को मास्टर विकास योजना-2025 में दर्शाई गई चौड़ाई के अनुरूप मौका स्थिति अनुसार दर्शाये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
2. प्रारूप जोनल प्लान में सड़कों, ग्रीन-उपयोग व कमिटमेंट्स की जोन स्तर से सुष्टि करवाई जाने तथा जो कमिटमेंट्स शेष रह गये हैं, उनको ऑफिस करवाये जाने का निर्णय लिया गया।
3. हाईटेंशन लाईन के नीचे अवस्थित सेफ्टी कॉरिडोर को हरित क्षेत्र में समावेश किये जाने का अनुमोदन किया गया।
4. सेक्टर प्लान संख्या 30 व 36 में सड़को की चौड़ाई दर्शित (Written) अनुसार रखने का निर्णय लिया गया।
5. विद्याणी औद्योगिक क्षेत्र में मास्टर विकास योजना की 24 मीटर सड़क, जो सेक्टर प्लान में नहीं है, उसे मास्टर विकास योजना-2025 के अनुसार यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया।
6. विद्याणी औद्योगिक क्षेत्र में हाईटेंशन लाईन के नीचे मास्टर विकास योजना-2025 की 60 मीटर सड़क को (गोनेर से प्रस्तावित 90 मीटर सड़क व 60 मीटर सड़क के जंक्शन से) हाईटेंशन लाईन तक यथावत रखा जाने व हाईटेंशन लाईन से आगे (हाईटेंशन लाईन से सीतापुरा

औद्योगिक क्षेत्र तक) जोनल विकास योजना की सीमा तक सेक्टर प्लान 37 व 38 तथा मास्टर विकास योजना-2025 में विषमता के कारण विलोपित किये जाने का निर्णय लिया गया।

7. प्रहलादपुरा औद्योगिक क्षेत्र में मास्टर विकास योजना-2025 व सेक्टर प्लान की सड़कों को कमिटमेंट्स व मौका स्थिति अनुसार संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया।
8. विद्याणी औद्योगिक क्षेत्र के दक्षिण में मास्टर विकास योजना-2025 की प्रस्तावित 30 मीटर सड़क जो हाईटेंशन लाईन को क्रॉस करते हुए विद्याणी औद्योगिक क्षेत्र तक प्रस्तावित है; इसके जंक्शन को हाईटेंशन लाईन के सहारे 12 मीटर सड़क पर उत्तर व दक्षिण दोनों ओर समावेश कर स्टेगर्ड जंक्शन को सही किये जाने का निर्णय लिया गया।
9. सेंट्रल रपाईन योजना महल रोड़ पर गैस पाईप लाईन के सहारे प्रस्तावित 48 मीटर सड़क (48 मीटर व 60 मीटर सड़क के बीच में) को सेक्टर प्लान 30 के अनुरूप 36 मीटर किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
10. इस योजना क्षेत्र में रिंग रोड़, रिंग रोड़ के क्लोवर लीफ तथा पी.ए.पी. एरिया की सड़कों को मौका स्थिति तथा संशोधित/अनुमोदित मानचित्र के अनुसार समायोजित किये जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त बिन्दुओं के अनुसार प्रारूप जोनल विकास योजना-8 को संशोधन सहित अनुमोदन बाबत प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या-10-(मास्टर प्लान)-(252/10.01.2018)

विषय:- जोनल विकास योजना संख्या-9 के अनुमोदन बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर जोनल विकास योजना-9 की रिपोर्ट तथा योजना मानचित्र बाबत निम्नवत निर्णय लिये गये :-

1. योजना की सड़को व सड़को के जंक्शनों को मास्टर विकास योजना-2025 में दर्शाई गई चौड़ाई के अनुरूप मौका स्थिति अनुसार दर्शाये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
2. प्रारूप जोनल प्लान में सड़कों, भू-उपयोग व कमिटमेंट्स की जोन स्तर से पुष्टि करवाई जाने तथा जो कमिटमेंट्स शेष रह गये हैं, उनको अंकित करवाये जाने का निर्णय लिया गया।
3. हाईटेंशन लाईन के नीचे अवस्थित सेप्टी कॉरिडोर को हरित क्षेत्र में समावेश किये जाने का अनुमोदन किया गया।
4. सेक्टर प्लान संख्या 38 से 42 में प्रस्तावित 30 मीटर चौड़ाई की दो सड़कों को मौका स्थिति व मास्टर विकास योजना-2025 के अनुसार दर्शाये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
5. मास्टर विकास योजना-2025 में दर्शित 24 मीटर चौड़ाई की दोनों सड़कों (जो सेक्टर प्लान 60 व 61 में दर्शित नहीं है) को मास्टर विकास योजना-2025 अनुसार यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया।
6. रिंग रोड़ दक्षिण को मौका स्थिति अनुसार दर्शाये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।



उपरोक्त बिन्दुओं के अनुसार प्रारूप जोनल विकास योजना-9 को संशोधन सहित अनुमोदन बाबत प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

**एजेण्डा संख्या:-11--(मास्टर प्लान)-- (252/10.01.2018)**

**विषय:-** जोनल विकास योजना संख्या-11ए के अनुमोदन बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर जोनल विकास योजना-11ए की रिपोर्ट तथा योजना मानचित्र बाबत निम्नवत निर्णय लिये गये :-

1. योजना की सड़को व सड़को के जंक्शनों को मास्टर विकास योजना-2025 में दर्शाई गई चौड़ाई के अनुरूप मौका स्थिति अनुसार दर्शाये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
2. प्रारूप जोनल प्लान में सड़कों, भू-उपयोग व कमिटमेंट्स की जोन स्तर से पुष्टि करवाई जाने तथा जो कमिटमेंट्स शेष रह गये हैं, उनको अंकित करवाये जाने का निर्णय लिया गया।
3. हाईटेंशन लाईन के नीचे अवस्थित सेपटी कॉरिडोर को हरित क्षेत्र में समावेश किये जाने का अनुमोदन किया गया।
4. इस योजना के पूर्व की ओर रिंग रोड उत्तर है, जिसे मास्टर विकास योजना-2025 के अनुसार दर्शाये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

उपरोक्त बिन्दुओं के अनुसार प्रारूप जोनल विकास योजना-11ए को संशोधन सहित अनुमोदन बाबत प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

**एजेण्डा संख्या:-12--(मास्टर प्लान)-- (252/10.01.2018)**

**विषय:-** जोनल विकास योजना संख्या-16 के अनुमोदन बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर जोनल विकास योजना-16 की रिपोर्ट तथा योजना मानचित्र बाबत निम्नवत निर्णय लिये गये :-

1. योजना की सड़को व सड़को के जंक्शनों को मास्टर विकास योजना-2025 में दर्शाई गई चौड़ाई के अनुरूप मौका स्थिति अनुसार दर्शाये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
2. प्रारूप जोनल प्लान में सड़कों, भू-उपयोग व कमिटमेंट्स की जोन स्तर से पुष्टि करवाई जाने तथा जो कमिटमेंट्स शेष रह गये हैं, उनको अंकित करवाये जाने का निर्णय लिया गया।
3. हाईटेंशन लाईन के नीचे अवस्थित सेपटी कॉरिडोर को हरित क्षेत्र में समावेश किये जाने का अनुमोदन किया गया।
4. सेक्टर प्लान संख्या-81 व मास्टर विकास योजना-2025 की 30 मीटर चौड़ी सड़क को किशोरपुरा तहसील-सांगानेर में अनुमोदित सेक्टर प्लान के कमिटमेंट्स के अनुसार संशोधित किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
5. ओमेक्स सिटी के पूर्वानुमोदित कमिटमेंट के अनुसार 30 मीटर व 60 मीटर सड़क को मौका स्थिति अनुसार रखे जाने का अनुमोदन किया गया।



6. रिंग रोड़ तथा रोज की (नेवटा गाँव की ओर जाने वाली 60 मीटर) सड़क के लिंक को कमिटमेंट के अनुसार 60 मीटर के स्थान पर 30 मीटर किये जाने का अनुमोदन किया गया।
7. इस योजना में रिंग रोड़ दक्षिण को मौका स्थिति अनुसार तथा रिंग रोड़ उत्तर को मास्टर विकास योजना-2025 के अनुसार दर्शाये जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त बिन्दुओं के अनुसार प्रारूप जोनल विकास योजना-16 को संशोधन सहित अनुमोदन बाबत प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

**अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-1 (जोन-7) - (252/10.01.2018)**

**विषय:-** BAPS श्री स्वामीनारायण मंदिर चित्रकूट वैशाली नगर को पार्क की 1606.15 वर्ग मीटर भूमि देने एवं विनियम में महादेव नगर की 1615.33 वर्ग मीटर भूमि का एण्डयूज निर्धारण करने बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर BAPS श्री स्वामीनारायण मंदिर चित्रकूट वैशाली नगर को पार्क की 1606.15 वर्ग मीटर भूमि का एण्डयूज मंदिर सुविधा क्षेत्र/आवासीय उपयोग (मंदिर से संबंधित सेवाओं बाबत जैसे भजन कीर्तन गैस्ट हाउस इत्यादि) एवं महादेव नगर के भूखण्ड संख्या 143 से 148 कुल क्षेत्रफल 1615.33 वर्ग मीटर भूमि का एण्डयूज आवासीय से पार्क निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया।

**अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-2 (जोन-8) - (252/10.01.2018)**

**विषय:-** निजी खातेदारी की अनुमोदित आवासीय योजना नारायण सागर विस्तार में सुविधा क्षेत्र की भूमि का एण्डयूज पार्क निर्धारित करने बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निजी खातेदारी की अनुमोदित आवासीय योजना नारायण सागर विस्तार में सुविधा क्षेत्र की भूमि का एण्डयूज पार्क निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया।

**अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-3 (जोन-9) - (252/10.01.2018)**

**विषय:-** पटेल नगर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना कुसुम विहार के अनुमोदित मानचित्र के भूखण्ड संख्या डी-87, डी-88, डी-99, डी-100 को प्रक्रियाधीन (यू.सी.) हटाकर पट्टे दिये जाने बाबत।

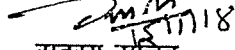
समिति द्वारा विचार विमर्श कर पटेल नगर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना कुसुम विहार के अनुमोदित मानचित्र के भूखण्ड संख्या डी-87, डी-88, डी-99, डी-100 को प्रक्रियाधीन (यू.सी.) हटाकर अनुमोदन दिये जाने का निर्णय लिया गया साथ ही योजना मानचित्र में दर्शित अन्य यू.सी. भूखण्डों के संबंध में जोन स्तर पर परीक्षण उपरांत प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

**अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-4 (जोन-12) - (252/10.01.2018)**

**विषय:-** राजस्व ग्राम निमेडा तहसील आमेर के खसरा नं. 560/591 रकबा 10 बिस्वा भूमि की पेट्रोल पम्प अनुमोदन हेतु 30 मीटर सड़क निर्धारण बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर राजस्व ग्राम निमेडा तहसील आमेर के खसरा नं. 560/591 रकबा 10 बिस्वा भूमि की पेट्रोल पम्प हेतु एकल पट्टे का सरार्त अनुमोदन किया जावे तथा 30 मीटर

सडक का निर्धारण जोनल प्लान अनुमोदित होने के पश्चात् पट्टा जारी किये जाने का निर्णय लिया गया ।

  
सदस्य सचिव

भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान)

क्रमांक: जविप्रा/स.स/बीपीसी (एल.पी.)/2017/डी-06 दिनांक:- 15/01/18

प्रतिलिपी सूचनार्थ:-

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक (नगर आयोजना) जविप्रा, जयपुर।
4. निदेशक विधि, जविप्रा, जयपुर।
5. अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व/पश्चिम/पीआरएन/एल.पी.सी-भूमि) जविप्रा, जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान)/बीपी जविप्रा, जयपुर।
7. वरिष्ठ नगर नियोजक (एमपी), जविप्रा, जयपुर।
8. उपायुक्त जोन 1 से 14 एवं पृथ्वीराज नगर उत्तर/दक्षिण जविप्रा, जयपुर।
9. विशेषाधिकारी जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।
10. उप रजिस्ट्रार सहकारिता, जविप्रा, जयपुर।

  
सदस्य सचिव

भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान)